
[-13-15 /2016 at-mit विषय- डब्ल्यू पी कमांक 3228/2016-राजमाता दिलहर कुमार सिंह विरूद क्याप्रदेश सासम व अन्य (मनहर महिला समिति, पन्ना) कृपया अवलोकन हो । मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर के समक्ष डब्ल्यू पी कमांक 3228/2016-राजमाता दिलहर कुमारी सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य (मनहर महिला समिति, पन्ना) की दायर की गई है। कृपया प्रकरण में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने एवं शासन का पक्ष रखने हेतु असि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ जिल्ह्युं को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने एवं शासकीय अधिवक्ता को नियुक्त हेतु विधि विभाग को लिखा जाना प्रस्तावित है । याचिका एवं आदेश की स्वच्छ प्रतियां सलग्न हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार, ऽ व सिंच मध्यप्रदेश वाणिज्य, उ १५३७ विक्र प्रमासकी उप सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग



छब्बीस-२ सचिवालय

एफ-13-15/2016/बी-ग्यारह

विषय:- रिट पिटीशन कं.-3228/2016-राजमाता दिलहर कुमारी सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।(मनहर महिला समिति, पन्ना)

पूर्व पृष्ठ से:-

कृपया पूर्व पृष्ठ का अवलोकन करें। रिजस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, म.प्र, भोपाल द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की स्वच्छ प्रतियां अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षारार्थ प्रस्तुत है।

13/3/16

34. 64. 6(S) 04/41 60 05/41 60 15-3 15-3 1613/16

17-3

17-3-16

65)(S

वार्ष स्मार विकासी

Dr. 1813

्रिडिडिड (खबिल कारतीय ST Phospib

700/DS/AB 12016 1813/2016

का विभाग

0

छब्बीस-२ सचिवालय

एफ-13-15/2016/बी-ग्यारह

विषय:

विषय :- रिट् पिटीशन कं.-3228/2016-राजमाता दिलहर कुमारी सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।(मनहर महिला समिति, पन्ना)

पूर्व पृष्ठ से:-

का विभाग

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 37144/2016

WP/3228/2016

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur for adm. / IR

Fixed for 29-02-2016

WP-DA-3

Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh Through, Principal Secretary Vallabh Bhawan,

Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

onmerce a house

Jabalpur 25-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 3228/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Rajmata Dilhar Kumari Singh has filed a well-string under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Company 1.10.

WP/3228/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 29-02-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR



GOVERNMENT ADVOCATE



MADHYA PRADESH

Phone { Office : 2678740 2678185 Fax : 2621218

D O. No.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL MADHYA PRADESH, JABALPUR JABALPUR

Dated ...

COURT CASE-URGENT

To,

26/2/2016

The named occidency, travi of M.P., Commerce & Industries Mantralaya, Bhopal.

- 2) The Collector, Sagar District Sagar (MP).
- 3) The Registrar, Firms and Societies, BHOPAL
- 4). The Assistant Registrar, Firms & Societies, Sagar (MP)

Sub: - W.P. No. 3228/2016 (Rajmata Dilhar Kumar Singh & others Vs. State & othes)

The aforesaid matter was listed before the Hon'ble Court and the Hon'ble Court has granted 3 DAYS time to seek instructions in the matter.

The petitioner in the present petition is seeking a direction for taking action against illegalities done by respondents no.5 & 6 in furtherance of the complaints Annex. P/6,P/8 &P/10. The Hon'ble Court has directed to inform as to what action has been taken on Annex. P-8/appeal under Section 40 of the Act.

You are therefore requested to appoint OIC and direct him to attend this Office immediately with all relevant records and parawise comments for preparation of suitable and effective return, so that the same may be filed within time allowed by the Hon'ble Court failing which this Office shall not be held responsible for the consequences of any adverse order that may be passed by the Hon'ble Court. Kindly treat this as Most Urgent.

(Smt. DIVIYA KEERTI BOHRE)
GOVERNMENT ADVOCATE

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विमाग मंत्रालय,वल्लभ मवन,भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 17/3/2016

क्रमांक एफ-13-15/2016/बी-ग्यारहः सिविल प्रिकेया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, सागर को (पक्षकारों के नाम) बस्त्यूपी. नं. 3228/2016-राजमाता दिलहर कुमारी सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य (मनहर मिहला सिनित, पन्ना) में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये है निम्नतिखित कार्य करेगा:-

प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन हेतु महाधिकता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाए तथा आदेश एकत्रित करेगा।

- 3. वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, कि एक रिपोर्ट तैयार करें।
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करें।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायें।

प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा:-

(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों इसमें वाद की सुनवाई की तारिख भी वर्णित होनी चाहिए।

7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

- 8. जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता तब विधि िष्यमाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।
- 10 यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

जैसे ही उसे स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है। वह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम . से तत्काल 11. जानकारी देगा।वह वर्तमान पद का भार सौप देने के पश्चात् भी तब अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज

अप्रकटित / छुपी नहीं रह जाए।

प्रभारी अधिकारी, का यदि लोक अभियोजनक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय 13. होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अन्य अन्तरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतः वह उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाय विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार(प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करे।

यदि प्रतिवादियों की सूची में मुख्य सचिव का नाम अंकित है तो प्रभारी अधिकारी प्रतिवादियों

की सूची से मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने की कार्यवाही करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अनिल भारतीय) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पुष्ठा. कमांक एफ-13-15/16/बी-ग्यारह प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 1/2/2016

महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिक्ता मध्यप्रदेश न्यायालय जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर। 2

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

र्रोजस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल। 3.

सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाये, सागर (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित कंरने के साथ 4. ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थित प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए। मामले की सुनवाई दिनांक को नियत की गई है।

> उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, व्राणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग